

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47]

नई दिल्ली, बुध्दतिथार, मार्च 1, 1973/फाल्गुन 10, 1894

No. 47]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1973/PHALGUNA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March 1973

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), Nos. 47/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969 and 64/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely:—

In each of the said notifications, for the words and figures "No. 129/69-Central Excises, dated the 29th April, 1969", the words and figures "No. 56/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973" shall be substituted.

[No. 29/73]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1973

सां. कां. निं. 154(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 47/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 और 64/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त प्रत्येक अधिसूचना में “सं० 129/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1969” “अंकों व शब्दों के लिए सं० 56/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973” अंक व शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 89/733]

बी० के० अग्रवाल. अवर सचिव ।